राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम

परिवहन मार्ग, मुख्यालय, जयपुर, 302001

दूरभाष नं. 0141–2373043/44/51/54/37/48/2368847/2360834

क्रमांक:एफ 4/मु0/वित्त/2025/ ९53 दिनांकः– 18/02/25

–:सूचना:–

मानमीय राजस्थान उच्च न्यायालय,जोधपुर के आदेशों के पालना में, Retiral Dues and other benefits के संबंध में सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत दावों के परीक्षण एवं निर्धारण हेतु निगम से सेवानिवृत्त लेखा कार्मिकों (लेखाकार या इससे उच्च पद) से आर्बिट्रेटर के रूप में कार्य करने हेतु आमंत्रण पत्र

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय,जोधपुर द्वारा एस.बी.रिट कन्टेम्ट नं. 1027/2018 इन एस.बी. सिविल रिट पीटिशन नं.16013/2017 दुंगवराम बनाम निगम एवं 117 अन्य में पारित आदेश दिनांक 10.12.2024, एस.बी.रिट कन्टेम्ट नं. 1014/2017 इन एस.बी.सिविल रिट पीटिशन नं.813/2017 द्वारकेश कुमार बनाम निगम एवं 138 अन्य में पारित आदेश दिनांक 12.12.2024, एस.बी.रिट कन्टेम्ट नं. 753/2017 इन एस.बी.सिविल रिट पीटिशन नं. 9500/2016 मांगीलाल बनाम निगम एवं 25 अन्य में पारित आदेश दिनांक 13.12.2024 तथा अन्य समानार्थी अवमानना याचिकाओं में पारित आदेशों की पालना में दावाकारों के Retiral Dues and other benefits के संबंध में प्रस्तुत दावों के परीक्षण एवं निर्धारण हेतु निगम से सेवानिवृत्त सभी लेखा कार्मिकों (लेखाकार या इससे उच्च पद) से आर्बिट्रेटर के रूप में कार्य करने बाबत संलग्न प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं ।

- आवेदन वित्तीय सलाहकार,राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम,परिवहन मार्ग, मुख्यालय जयपुर पिन कोड 302001 के नाम से प्रेषित किये जायेगे ।
- आवेदन का माध्यम ऑफलाईन होगा ।
- आवेदन की अंतिम तिथि 15.03.2025 हैं ।
- निगम किसी भी आवेदन को स्वीकार करने के लिये बाध्य नहीं होगा ।

कार्य का विवरण एवं शर्ते निम्नानुसार हैः–

1. माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार विभिन्न सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा Retiral Dues and other benefits के संबंध में निर्धारित अवधि में प्रस्तुत दावों का सेवानिवृत्त लेखा कार्मिकों द्वारा परीक्षण एवं निर्धारण किया जाना हैं।
2. सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा Retiral Dues and other benefits के संबंध में दायर सभी दावे निगम के प्रबंध निदेशक द्वारा आर्बिट्रेटर के रूप में नामित सेवानिवृत्त लेखाकर्मी को प्रेषित किए जाएंगे, जो दोनो पक्षों (दावाकर्ता एवं निगम) को सूचित करते हुए संबंधित आगार में अपनी सुविधानुसार सुनवाई की तारीख तय करेगा । मुख्य प्रबंधकों द्वारा प्रत्येक कर्मचारी का संपूर्ण सेवा रिकॉर्ड, जो भी दावे के निर्धारण के प्रयोजन के लिए आवश्यक हो, निगम द्वारा नियुक्त/नामित सेवानिवृत्त लेखाकर्मी को उपलब्ध कराया जावेगा।

3. प्रत्येक डिपो के मुख्य प्रबंधक द्वारा सेवानिवृत्त लेखाकर्मी को एक उपयुक्त स्थान उपलब्ध कराया जावेगा,जहां सेवानिवृत्त लेखाकर्मी बैठ सके एवं सुनवाई कर सके।
4. प्रत्येक कर्मचारी/दावेदार द्वारा आर्बिट्रेटर को 500/– रूपए का मानदेय देना होगा एवं निगम भी उसे समान राशि का भुगतान करेगा। उक्त उल्लेखित राशि में से, राशि का आधा (250/–रू.) दोनों पक्षों द्वारा पहली सुनवाई के समय आर्बिट्रेटर को भुगतान किया जाएगा। शेष राशि (250/–रू.प्रत्येक) का भुगतान पक्षकारों द्वारा अंतिम अवार्ड पारित किए जाने से तुरंत पहले किया जाएगा।
5. निगम भी कर्मचारियों द्वारा दर्ज किए गए दावे के संबंध में अपनी आपत्तियां दर्ज करने के लिए स्वतंत्र होगा।
6. सेवानिवृत्त लेखाकर्मी/आर्बिट्रेटर को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय,जोधपुर के आदेशों के क्रम में निगम द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों/परिपत्रों के अनुसार उक्त दायर दावों का परीक्षण कर, संक्षिप्त कार्यवाही करनी होगी और उसमें देय राशि का दावावार विवरण दर्शाते हुए ,अवार्ड पारित करना होगा।
7. आर्बिट्रेटर के रूप में नामित सेवानिवृत्त लेखाकर्मी द्वारा उक्त कार्य के संबंध में निगम के आदेशों/निर्देशों के अनुरूप परीक्षण/कार्य करते हुए ही अवार्ड पारित किया जाएगा।
8. मृतक कर्मचारी के मामले में उसकी पत्नी या कानूनी प्रतिनिधि दावे को आगे बढाने के लिए स्वतंत्र होंगे।
9. निगम सेवानिवृत्त लेखाकर्मी को उसके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में वर्णित इच्छुक डिपो हेतु नामित करने के लिये बाध्य नहीं है। निगम द्वारा सेवानिवृत्त लेखाकर्मी को प्राप्त दावों की संख्या के अनुसार किसी भी डिपो/एक से अधिक डिपो का कार्य आवंटित किया जा सकता है।

(पुरूषोत्तम शर्मा)
प्रबंध निदेशक

क्रमांकःएफ 4/मु0/वित्त/2025/953 दिनांकः– 18/02/25

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. कार्यकारी निदेशक (प्रशा0/याता0/यांत्रिक/विधि) रा.रा.प.प.निगम मुख्यालय जयपुर।
2. महा प्रबंधक ( ),संयुक्त महा प्रबंधक ( )रा.रा.प.प.निगम मुख्यालय जयपुर।
3. उप महा प्रबंधक( ),कार्यकारी प्रबंधक( )रा.रा.प.प.निगम मुख्यालय जयपुर।
4. उप महा प्रबंधक(आई.टी.) रा.रा.प.प.निगम मुख्यालय जयपुर को निगम वेबसाइट पर अपलोड करवाने हेतु प्रेषित है।
5. मुख्य प्रबंधक/इकाई प्रभारी रा.रा.प.प.निगम समस्त आगार/इकाई को संबंधित सेवानिवृत्त लेखा कार्मिकों को सूचित करने हेतु प्रेषित हैं।
6. समस्त सेवानिवृत्त लेखा कार्मिक, रा.रा.प.प.निगम।
7. रक्षित पत्रावली

(मनीष शुक्ला)
वित्तीय सलाहकार

आवेदन पत्र का प्रारूप

नवीनतम रंगीन फोटो

1.नाम:

2.पिता का नाम:

3.सेवानिवृत्ति पद:

4.सेवानिवृत्ति दिनांक :

5.अंतिम पदस्थापन कार्यालय का नाम:

6.स्थायी पता:

7.आधार नम्बर:

8.पैन नम्बर:

9. उन तीन आगारों के नाम जहां सेवानिवृत्त कर्मचारी/अधिकारी निगम द्वारा जारी सूचना क्रमांक...............दिनांक........................ में अंकित विवरण/शर्तो के अध्यधीन कार्य करने का इच्छुक है:–

i)

ii)

iii)

10.मोबाइल नम्बर/वाटसअप नम्बर:–

11.ई–मेल आई डी:–

संलग्न किये जाने वाले स्व प्रमाणित दस्तावेज:–

1.आधार कार्ड की प्रति

2.पैन कार्ड की प्रति

3.निगम परिचय पत्र की प्रति

हस्ताक्षर

नामः–